क्रमांक 114-ज(I)-82/11805.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राम अवतार, पुत्र श्री कालू राम, निवासी बलदेव नगर, 10/149, अम्बाला शहर, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1936 से रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 403-ज(I)-82/11809--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सरदार सिंह, पुत्र श्री हुकम सिंह, गांव पिलखनी, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 404-ज(I)-82/11813.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री फौजा सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह, गांव रायेवाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को खरीफ 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 5 अप्रैल, 1982

क्रमांक 394-ज(I)-82/12054.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री खूबराम, पुत्र श्री हेत राम, गांव मोहम्मदपुर, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1974 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 256-ज(I)-82/12058.--श्री श्योनाथ सिंह, पुत्र श्री देव करण गांव बागोत, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को दिनांक 9 सितम्बर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा (3)(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्योनाथ सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 664-ज-I-78/19379, दिनांक 12 जुलाई, 1978 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती नानची के नाम रबी 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 12 अप्रैल, 1982

क्रमांक 1508—ज (II)-82/12579.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री नेकी राम, पुत्र श्री घासी राम, गांव थाना कलां, तहसील व जिला सोनीपत को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रु० वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

टी. आर. तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

HARYANA STATE LOTTERIES

The 2nd March, 1982

No. DOL/HR/82/ATO/Naraingarh/SPL-2.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons for the supervision of the 220th Draw held on 2nd March, 1982, at Naraingarh :—

1. Smt. Sohag Rani Puri,
   W/o Sh. B.C. Puri, HCS,
   Sub-Divisional Magistrate,
   Naraingarh.

2. Smt. Sudesh Nagpal,
W/o Dr. H.C. Nagpal,
Senior Medical Officer,
Naraingarh.

3. Smt. Swatantar Arora,
W/o Sh. G.M. Arora,
Executive Engineer, P.W.D., B&R,
Naraingarh.

4. Rao Jaswant Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Naraingarh.

5. Sh. Deep Chand Gupta,
Tehsildar,
Naraingarh.

No. DOL/HR/82/ATO/Naraingarh/Spl-I.—The 220th Draw of Haryana State Mahalakshmi Lottery was held at Naraingarh on 2nd March, 1982 and the following are the results declared in the presence of Judges :—

Ist Prize (1) Rs. 1,00,000 B 386781

2nd Prize .. Rs. 10,000 each

A 455880 B 461158 C 385963

3rd Prize Rs. 1,000 each (The tickets ending with the following last 5 digits in all the series A, B and C) : —

78590 70074 57931 78189 71546

4th Prize Rs. 100 each (The tickets ending with the following last 4 digits in all the series A, B and C) : —

0536 1805 2311 3171 4320 5586 6930 7181 8798 9939

5th Prize Rs. 50 each (The tickets ending with the following last 4 digits in all the series A, B and C) : —

0381 1816 2785 3158 4789 5911 6264 7375 8931 9076

6th Prize Rs. 20 each (The tickets ending with the following last 4 digits in all the series A, B and C) : —

0962 1583 2311 3517 4925 5366 6519 7441 8817 9904

7th Prize Rs. 10 each (The tickets ending with the following last 3 digits in all the series A, B and C) :—

040 103 220 311 402 583 638 757 811 983

AGENT'S LUCKY PRIZES—Rs. 50 each (Agents selling the tickets ending with the folllowing last 4 digits in each respective series) :—

A 6801 B 6226 C 4730
A 9578 B 6768 C 5301

SELLER'S LUCKY PRIZES—Rs. 20 each (All the counterfoils of the tickets ending with the folllowing last 4 digits in all the series A, B and C) :—

8531 8968 1556 7552 1751

The holder of the 1st Prize winning ticket may either produce his ticket in person to Director, Haryana State Lotteries, Sector 17, Chandigarh or claim his prize through any Scheduled Bank having offices at Chandigarh.

No prize will be awarded for a ticket produced after 30 days from the date of draw.

For correct numbers, consult official gazette.

NEXT DRAW AT CHANDIGARH ON 9TH MARCH, 1982 AT 2 P.M.
GIAN CHAND, I.A.S., DIRECTOR OF LOTTERIES and JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA, FINANCE DEPARTMENT, CHANDIGARH, SECTOR-17.
(Ph. 28965, 26357 Delhi 311999)